

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 9/पद0-05-06/2011सा0प्र0.पटना 15,फरवरी, 2015

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6161, दिनांक 24.4.2015 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

2. उक्त समिति का कार्यकाल क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या 13219 दिनांक 03.9.2015 एवं 16900 दिनांक 07.12.2015 द्वारा प्रत्येक तीन माह के लिए अवधि विस्तार किया गया था। समिति का प्रतिवेदन/अनुशंसा विस्तारित तिथि तक तैयार नहीं होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त समिति के कार्यकाल को अगले 6(छहः) माह अर्थात् दिनांक 13.08.2016 तक विभागीय अधिसूचना संख्या 1705 दिनांक 03 02.2016 द्वारा विस्तारित किया गया है।

3. अतः समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पूर्व से प्रतिनियुक्त निम्नलिखित कर्मियों की प्रतिनियुक्त अवधि को दिनांक 13.8.2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है :-

क्र0	कर्मि का नाम एवं पदनाम	पदस्थापन का विभाग
1	2	3
1	श्री संतोष कुमार वर्मा, आप्त सचिव	उद्योग विभाग
2	श्री मनीष कुमार गुप्ता, आशुलिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग
3	श्री जयप्रकाश नारायण, आशुलिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग

4. प्रतिनियुक्त अवधि में उक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान पूर्ववत् पदस्थापन विभाग से होता रहेगा।

5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद0-05-06/2011सा0प्र0. 65....पटना 15, दिनांक- 11 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-4, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री संतोष कुमार वर्मा, आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री मनीष कुमार गुप्ता, आशुलिपिक एवं श्री जयप्रकाश नारायण, आशुलिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।